A-43020/79/2014-RTI

To be sent in Hindi also
RTI MATTER/TIME BOUND

Government of India/भारत सरकार

Ministry of Home Affairs/गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12th August, 2014

ORDER

Sub: First Appeal preferred by Shri Sant Ram under RTI Act,2005- regarding.

****

Whereas an RTI application dated 10.6.2014(received in this Ministry on 27.6.2014) was filed by Shri Sant Ram seeking information regarding "whether Govt. of Uttar Pradesh has sent any report to MHA with reference to letter No.1670/PS to MOS(H) 2004 dated 26/8/2004 written by PS to Minister of State(Home) to Chief Secretary, Uttar Pradesh."

2. Whereas CPIO vide his letter No. 43020/01/2014-RTI dated 22/7/2014 has informed that as per the records of nodal points where letters are received in respect of this Ministry, the above referred case pertains to the year 2004 i.e. 10 years old and the record for the year 2004 is not available with them. Therefore, it would not be possible for this Ministry to furnish any information in this regard.

3. Whereas Shri Sant Ram vide his appeal dated 30/7/2014 (received in this Ministry on 8.8.2014) has stated that no reply has been received by him and has requested to provide the information without any fee.

4. However, from the submission in the RTI application of Shri Sant Ram, it is found that the applicant has mentioned about his alleged arrest under NDPS Act by the NCB officials. Since the matter related to IS-II division of this Ministry, a copy of RTI application and appeal of Shri Sant Ram is being sent to Joint Secretary(Security), MHA for providing information, if available, with them.

5. The appeal is accordingly disposed of.

12/8/14

(सतपाल चौहान)

संयुक्त सचिव एवम प्रथम आपीलीय अधिकारी

फोन न. **23093178**

Shri Sant Ram,
Mohalla- Raja Bazar,
Post Old Basti, Disrict Basti,
Uttar Pradesh.

Copy to:

1. Joint Secretary(Security), NDCC.II Bldg., MHA with a copy of RTI application dated 10.6.2014 along with its enclosures and appeal of Shri Sant Ram for necessary action please.

2. SO(IT Cell) for uploading of RTI application, appeal and reply with search facility based on key words in the MHA website under the heading RTI Act-Information under 4(1)(b) of the Act.

12/6/14

संयुक्त सचिव एवम प्रथम आपीलीय अधिकारी

30/6/14

Ministry of ... नई दिल्ली
27 JUN 2014
715

सेवा में,

श्री मान लोक सूचना अधिकारी महोदय,

कार्यालय सचिव, भारत सरकार गृह राज्य मंत्रालय, नई दिल्ली।

बिषय:— जन सूचना अधिकार अधि० सन् 2005 के तहत आवेदन पत्र :—

महोदय,

आपको संज्ञानित कराया जाता है कि प्रार्थी को जमीनी विवाद के कारण विपक्षी द्वारा नारकोटिक्स विभाग फैजाबाद के कर्मियों को भारी धनराशि देकर उन्हें प्रार्थी के जिले बस्ती दिनाँक 16.6.2004 प्रातः 8.00 बजे बुलाकर जब प्रार्थी अपने पेन की दुकान दीवानी कचेहरी जा रहा था तो शहर से अपहृत करके अपने जिला अफीम कार्यालय फैजाबाद लाये और अयोध्या बस स्टाप पर फर्जी गिरफ्तारी व 1.9 KG चरस की बरामदगी दिखाकर मु०अ० सं० NIL/2004 धारा 8/20बी. NDPS ACT थाना केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग जिला फैजाबाद पंजीकृत करके जेल भेज दिया जिसकी उच्चस्तरीय न्यायोचित जाँच कराये जाने का संलग्न आदेश केन्द्रीय गृह राज्य मंत्रालय भारत सरकार ने D.O.NO. 1670 दिनाँक 26 अगस्त 2004 मुख्य सचिव उ०प्र० शासन लखनऊ को दिया था जिसपर पुलिस अधीक्षक बस्ती से जाँच कराया जिसकी संलग्न कापी में प्रार्थी की गिरफ्तारी व बरामदगी फर्जी पायी गयी और सक्षम एजेन्सी से निष्पक्ष जाँच कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है की टिप्पणी के साथ संलग्न जाँच रिपोर्ट उ०प्र० शासन को प्रेषित कर दिया जिसे गृह राज्य मंत्रालय भारत सरकार भेजने के स्थान पर स्वयं निर्णय लेकर मुख्य सचिव ने CBCID जाँच आदेश पारित किया जिसे न्यायालय ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि भारत सरकार के मुकदमों में राज्य सरकार को जाँच कराने का अधिकार नहीं है तब से प्रार्थी निरन्तर सम्बन्धित विभाग, भारत सरकार के बिभिन्न मंत्रालयों से CBI जाँच की माँग कर रहा है।

MOS office

1. यह कि आपके संलग्न आदेश 26 अगस्त 2004 पर मुख्य सचिव महोदय ने जाँच कराकर रिपोर्ट आपको कब भेजा तथा उसपर आप द्वारा क्या कार्यवाही की गयी बतायें और सबकी प्रमाणित प्रति प्रदान करें?

CR MoS

2. यह कि यदि मुख्य सचिव महोदय ने कोई जाँच रिपोर्ट नहीं भेजा तो आजतक आपने कितने रिमाण्डर/स्मरण पत्र भेजे सबका विवरण व प्रति कृपया प्रदान करें?

3. यह कि मुख्य सचिव महोदय से आप कब तक रिपोर्ट मगायेंगे। भारत सरकार के कर्मियों ने मुझे झूठा फंसाकर जीवन बर्बाद किया है आप द्वारा कब तक न्याय दिलाया जायेगा और सबत फर्जी मुकदमें की CBI जाँच करायी जायेगी।

2(8)

प्रार्थी सन्तराम

निर्धारित शुल्क दस रुपये का नोट संख्या 45R 402151 साथ में संलग्न है।

सन्तराम पुत्र स्व० श्री शिव शंकर
मो० राजाबाजार पोस्ट - पुरानी बस्ती
जनपद - बस्ती (उ०प्र०) दिनाँक - 10.06.2014

D.O. No /620./PS to MOS(J)/2004

भूपेन्द्र सिंह, आई०ए०एस०
फोन नं० 2309 4054

निजी सचिव
राज्य मंत्री
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली-110001
PRIVATE SECRETARY
MINISTER OF STATE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NEW DELHI-110001

2 6 NOV 2004

आदरणीय महोदय,

मा० गृह राज्य मंत्री जी को प्राप्त श्री अम्बिका सिंह, पूर्व विधायक एवं महामंत्री उ०प्र० कांग्रेस कमेटी,लखनऊ का पत्र संलग्न है जिसमें इन्होंने बस्ती जनपद के युवा इंका नेता दलित संतराम को फर्जी मामले में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा फर्जी चरस के मामले में फंसाये जाने संबंधी कथित मामले की उच्चस्तरीय न्यायोचित जांच कराये जाने का अनुरोध किया है । इस संबंध में इनका पत्र सलग्नकों सहित स्वतः स्पष्ट है ।

निदेशानुसार मूल पत्र संलग्नकों सहित समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

स्पष्ट

भवदीय,

(signature)

(भूपेन्द्र सिंह)

श्री वी०के०मित्तल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

"Please Visit our website at http://mha.nic.in"

सन्तराम

पुलिस अधीक्षक,
जनपद बस्ती ।

कृपया उप सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक-3143/छः-पु-11-07-70(121)05 दिनांक 20-8-07 पर आपके पृष्ठांकन आदेश दिनांक 23-8-07 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो आवेदक श्री रामेश्वर कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष, सं0का0मं0का0जिला मगहर बस्ती, संरक्षक, कांग्रेस जन संघर्ष समिति द्वारा श्री संतराम पुत्र स्व0 श्री शिव शंकर मो0राजा बाजार थाना पुरानी बस्ती के प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

अतः निर्देशानुसार श्री संतराम पुत्र स्व0श्री शिव शंकर मो0-राजा बाजार थाना पुरानी बस्ती के प्रकरण की जांच की गयी तो बिन्दुवार सूचना इस प्रकार है:-

(1) दिनांक 16-6-2004 को समय 4-00बजे मुखबिर द्वारा सूचित हुये ।

उपरोक्त बिन्दु पर जांच से यह पाया गया कि यह समय 4-00बजे प्रातः 4-00बजे का समय है ।

(2) दिनांक 16-6-2004 को उक्त सूचना में 4-30 से 5-30 बजेतक संतराम को आने की सम्भावना बतायी गयी ।

इस बिन्दु में समय 4.30 से 5.30 बजे दिन में आने की सम्भावना अंकित की गयी है ।

(3) दिनांक 16-6-04 को जिस व्यापारी को दिया बताया गया उस व्यापारी की गिरफ्तारी नहीं की गयी और जबकि चरस की मात्रा सही मात्रा लगभग-2 किलोग्राम बताई और 1.9 किलोग्राम बरामद हुई । जब मुखबिर से नाम भी पता चल गया तब लाने के स्थान और बेचने के स्थान पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी । क्या यह मान लिया जाय कि दोनों जगह के व्यापारियों को विभागीय अनुमति है । यदि ऐसा है तो संतराम मात्र कोरियर ही हुआ ।

उपरोक्त बिन्दु के संबंध में सादर अवगत कराना है कि उक्त बिन्दु निश्चित रूप से उचित है । मुखबिर द्वारा जब इतनी सटीक मुखबिरी की गयी तो यह भी बताया जाना स्वाभाविक है कि संतराम उपरोक्त द्वारा किस व्यक्ति से या किस स्थान से चरस लायी गयी और किस --

सन्तराम

व्यक्ति और किस स्थान पर इसकी आपूर्ति की जानी थी उक्त -
व्यक्ति के बारे में न तो कोई उल्लेख है और न ही कोई कार्यवाही
किया जाना पाया गया। जबकि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए
थी।

[4] दिनांक 16-6-2004 को उप नारकोटिक्स आयुक्त, लखनऊ को दूरभाष से सूचना दी गयी। जिसका समय नहीं लिखा है। अतः मुखबिर द्वारा 4.00 बजे प्राप्त सूचना के बाद ही दूरभाष से उक्त अधिकारी को बताया गया होगा। अतः 4.00बजे से 4.30 बजे के बीच का समय बनता है।

उपरोक्त बिन्दु सत्य प्रतीत होता है।

[5] दिनांक 16-6-04 को 4.00बजे से 4.30 बजे के बीच मुखबिर से सूचना प्राप्त करने के बाद उप नारकोटिक्स आयुक्त को दी गयी सूचना पर आयुक्त ने जो कार्यवाही हेतु दल भेजा वह मुखबिर के प्रथम सूचना से पूर्व 15-00 यानी 03-00बजे लखनऊ से फैजाबाद पहुंच गया। उक्त गाड़ी यूपी-32-एक्स-574। पृष्ठ संख्या 0724। श्री मिश्रीलाल सागर चालक लेकर पहुंचे।

उक्त बिन्दु के संबंध में अवगत कराना है कि मुखबिर से प्राप्त होने वाले सूचना का समय 4.00बजे अपरान्ह का होना प्रतीत होता है और इस समय से पूर्व 15.00बजे लखनऊ से लेकर फैजाबाद पहुंचा जा सकता है। गाड़ी का नम्बर यूपी-32-एक्स-574। और 574 किलो मीटर 0724 गाड़ी में अंकित किया गया है।

[6] 16-6-2004 को वाहन संख्या यूपी-32-5-9032 दिन में 4.00बजे मुखबिर के प्रथम सूचना से पूर्व शामिल होकर और 4.00बजे ही अयोध्या बस स्टैण्ड पर पहुंच गयी।

उक्त बिन्दु के संबंध में सूचित करना है कि मुखबिर की सूचना 4.00बजे पूर्वान्ह की है तथा वाहन पहुंचने का समय 4.00बजे अपरान्ह का है।

[7] दिनांक 16-6-2004 को लगभग 18.00बजे मुखबिर ने इशारा किया और गिरफ्तारी की गयी।

उपरोक्त विवरण के अध्ययन से साबित होता

सन्तराम

है कि षड्यंत्र के तौर पर संतराम की गिरफ्तारी हुई ।

उपरोक्त बिन्दु के संबंध में अवगत कराना है कि संतराम की गिरफ्तारी का समय 17-00बजे का है ।

संतराम उपरोक्त के बारे में जानकारी की गयी तो पता चला कि संतराम पुत्र स्व0 शिव शंकर नि0ग्रा0 राजा बाजार थाना - पुरानी बस्ती जनपद बस्ती अपना जीविकोपार्जन कचहरी बस्ती में पेन॰ कागज आदि बेचकर करते थे । इनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक - मामला पंजीकृत नहीं है । इनके पास-पड़ोस तथा हमपेशा के विरोध में कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में नहीं आये है । आवेदक का प्रतिवादी - सत्यपाल सिंह तथा नरेन्द्र सिंह उर्फ काका आदि के मध्य जमीन विवाद के मामले मा0न्यायालय में विचाराधीन है । विपक्षीगण की छवि - ठीक नहीं है तथा इनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है तथा वर्तमान समय में भी अभियुक्त सत्यपाल सिंह उर्फ टिल्लू जिला कारागार बस्ती में निरुद्ध है । विपक्षी सत्यपाल सिंह उर्फ - टिल्लू के द्वारा मु0अ0सं0-1159/06 धारा 323/504/506/308 भादवि थाना कोतवाली सरकार बनाम अनिल कुमार जो हरियाणा प्रान्त का निवासी है । बस्ती के उपरोक्त मुकदमे में निरुद्ध चला आ रहा - है । जांच से प्रथम दृष्टया सही पाया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है । आवेदक संतराम के विरुद्ध मु0अ0सं0-निल/04 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना केन्द्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जिला फैजाबाद सरकार - बनाम संतराम एस0टी0नं0-19/05 जो वर्तमान समय में ए0डी0जे0-6 जनपद फैजाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है । न्याय हित में आवेदक - के प्रार्थना के अनुसार किसी स्वतंत्र एजेन्सी से निष्पक्ष जांच कराया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है ।

उपरोक्त प्रकरण की जांच मेरे [illegible] अधिकारी द्वारा करके रिपोर्ट तैयार कराई गयी है, जो वर्तमान समय में [illegible] डियूटी हेतु [illegible] नगर गये है ।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है ।

दि0 27-8-07

क्षेत्राधिकारी- सदर
बस्ती ।

प्रतिलिपि:
1- आवेदक संतराम पुत्र शिव शंकर उपरोक्त को सूचनार्थ ।

सन्तराम

To be issued in Hindi

RTI MATTER/TIME BOUND

No. A. 43020/01/2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs
******

New Delhi, Dated the 21st July 2014

Subject:- Information sought under the Right to Information Act, 2005.

******

Please refer to your application dated 10/06/2014 under the RTI Act, 2005 (received in this Ministry on 27/06/2014) wherein you have sought information about "whether Govt. of Uttar Pradesh has sent any report to Ministry of Home Affairs with reference to letter No. 1670/PS to MOS(H) 2004 dated 26/08/2004 written by Private Secretary to Minister of State, (Home) to Chief Secretary, Uttar Pradesh".

2. It is stated that as per the records of the nodal points where letters are received in respect of this Ministry, the above-referred cases pertains to the year 2004 i.e. 10 years old and the records for the year 2004 are not available. Therefore, it would not be possible for this Ministry to furnish any information with reference to your application.

3. The Appellate Authority in this regard is Shri Satpal Chauhan, Joint Secretary (Admn.), MHA, North Block, New Delhi.

(V. K. Rajan)
Deputy Secretary (E) &CPIO

To

Shri Sant Ram
Mohalla- Raja Bazar
Post Old Basti,
District Basti,
Uttar Pradesh

(Receipt No. 30046 dated 14/07/2014 in R/o application fee is received is enclosed)

ISSUED
24 JUL 2014
MHA (NB)

A-43020/79/2014-RTI

सेवा में,

प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय,
कार्यालय सचिव, भारत सरकार, गृह राज्य मंत्रालय, नई दिल्ली।

विषय :— जन सूचना अधिकार अधि॰ सन् 05 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील —

RTI

महोदय,

मैंने जन सूचना अधिकार अधिनियम सन् 05 के अंतर्गत श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय, कार्यालय सचिव, भारत सरकार, गृह राज्य मंत्रालय नई दिल्ली से कुछ सूचनाएं मांगने के लिए आवेदन किया था, जिसकी छायाप्रति साथ में संलग्न है परन्तु मुझे निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद कोई सूचना नहीं दिया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे जरूरी सूचनाएं निःशुल्क देने उपलब्ध कराने के लिए वैधानिक कार्यवाही करें तथा सम्बन्धित अधिकारी को जन सूचना समय से न देने के लिए दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रार्थी

संलग्नक :—
1. मूल आवेदन की प्रतिलिपि।
2. पूर्व आवेदन की प्रतिलिपि।

सन्तराम पुत्र स्व॰ श्री शिवशंकर
मो॰/ग्राम — राजा बाजार बस्ती
पोस्ट — पुरानी बस्ती
जिला — बस्ती (उत्तर प्रदेश)
दिनांक — 30.07.2014
मोबाइल नं॰ —

08 AUG 2014
1082/SR

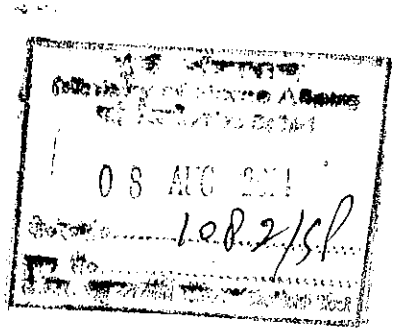

सन्तराम

सेवा में,

श्री मान लोक सूचना अधिकारी महोदय,

कार्यालय सचिव, भारत सरकार गृह राज्य मंत्रालय, नई दिल्ली।

बिषय:— जन सूचना अधिकार अधि० सन् 2005 के तहत आवेदन पत्र :—

महोदय,

आपको संज्ञानित कराया जाता है कि प्रार्थी को जमीनी विवाद के कारण विपक्षी द्वारा नारकोटिक्स विभाग फैजाबाद के कर्मियों को भारी धनराशि देकर उन्हें प्रार्थी के जिले बस्ती दिनाँक 16.6.2004 प्रातः 8.00 बजे बुलाकर जब प्रार्थी अपने पेन की दुकान दीवानी कचेहरी जा रहा था तो शहर से अपहृत करके अपने जिला अफीम कार्यालय फैजाबाद लाये और अयोध्या बस स्टाप पर फर्जी गिरफ्तारी व 1.9 KG चरस की बरामदगी दिखाकर मु०अ० सं० NIL/2004 धारा 8/20 बी. NDPS ACT थाना केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग जिला फैजाबाद पंजीकृत करके जेल भेज दिया जिसकी उच्चस्तरीय न्यायोचित जाँच कराये जाने का संलग्न आदेश केन्द्रीय गृह राज्य मंत्रालय भारत सरकार ने D.O. NO. 1670 दिनाँक 26 अगस्त 2004 मुख्य सचिव उ०प्र० शासन लखनऊ को दिया था जिसपर पुलिस अधीक्षक बस्ती से जाँच कराया जिसकी संलग्न कापी में प्रार्थी की गिरफ्तारी व बरामदगी फर्जी पायी गयी और सक्षम एजेन्सी से निष्पक्ष जाँच कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है की टिप्पणी के साथ संलग्न जाँच रिपोर्ट उ०प्र० शासन को प्रेषित कर दिया जिसे गृह राज्य मंत्रालय भारत सरकार भेजने के स्थान पर स्वयं निर्णय लेकर मुख्य सचिव ने CBCID जाँच आदेश पारित किया जिसे न्यायालय ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि भारत सरकार के मुकदमों में राज्य सरकार को जाँच कराने का अधिकार नहीं है तब से प्रार्थी निरन्तर सम्बन्धित विभाग, भारत सरकार के बिभिन्न मंत्रालयों से CBI जाँच की माँग कर रहा है।

1. यह कि आपके संलग्न आदेश 26 अगस्त 2004 पर मुख्य सचिव महोदय ने जाँच कराकर रिपोर्ट आपको कब भेजा तथा उसपर आप द्वारा क्या कार्यवाही की गयी बताये और सबकी प्रमाणित प्रति प्रदान करे ?

2. यह कि यदि मुख्य सचिव महोदय ने कोई जाँच रिपोर्ट नहीं भेजा तो आजतक आपने कितने रिमाइण्डर/स्मरण पत्र भेजे सबका विवरण व प्रति कृपया प्रदान करे ?

3. यह कि मुख्य सचिव महोदय से आप कब तक रिपोर्ट मगायेगें। भारत सरकार के कर्मियों ने मुझे झूठा फंसाकर जीवन बर्बाद किया है आप द्वारा कब तक न्याय दिलाया जायेगा और उक्त फर्जी मुकदमें की CBI जाँच करायी जायेगी।

प्रार्थी सन्तराम

निर्धारित शुल्क दस रूपये का नोट संख्या 45R 402151 साथ में संलग्न है।

सन्तराम पुत्र स्व० श्री शिव शंकर
मो० राजाबाजार पोस्ट – पुरानी बस्ती
जनपद – बस्ती (उ०प्र०) दिनाँक – 10.06.2014

सेवा में,

प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय,

कार्यालय सचिव, भारत सरकार, गृह राज्य मंत्रालय, नई दिल्ली।

विषय:— जन सूचना अधिकार अधि० सन् 05 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील —

महोदय,

मैंने जन सूचना अधिकार अधिनियम सन् 05 के अंतर्गत श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय, कार्यालय सचिव, भारत सरकार, गृह राज्य मंत्रालय, नई दिल्ली से कुछ सूचनाएं मांगने के लिए आवेदन किया था, जिसकी छायाप्रति साथ में संलग्न है परन्तु मुझे निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद कोई सूचना नहीं दिया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे जरूरी सूचनाएं निःशुल्क देने/उपलब्ध कराने के लिए वैधानिक कार्यवाही करें तथा सम्बन्धित अधिकारी को जन सूचना समय से न देने के लिए दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रार्थी

संलग्नक:—

1. मूल आवेदन की प्रतिलिपि।
2. पूर्व आवेदन की प्रतिलिपि।

सन्तराम पुत्र स्व० श्री शिवशंकर
मो०/ग्राम — राजाबाजार बस्ती
पोस्ट — पुरानी बस्ती
जिला — बस्ती (उत्तर प्रदेश)
दिनाँक — 30.07.2014
मोबाइल नं० —

सन्तराम

सेवा में,

श्री मान लोक सूचना अधिकारी महोदय,

कार्यालय सचिव, भारत सरकार गृह राज्य मंत्रालय, नई दिल्ली।

विषय :— जन सूचना अधिकार अधि० सन् 2005 के तहत आवेदन पत्र :—

महोदय,

आपको संज्ञानित कराया जाता है कि प्रार्थी की जमीनी विवाद के कारण विपक्षी द्वारा नारकोटिक्स विभाग फैजाबाद के कर्मियों को भारी धनराशि देकर उन्हें प्रार्थी के जिले बस्ती दिनाँक 16.6.2004 प्रातः 8.00 बजे बुलाकर जब प्रार्थी अपने पेन की दुकान दीवानी कचेहरी जा रहा था तो शहर से अपहृत करके अपने जिला अफीम कार्यालय फैजाबाद लाये और अयोध्या बस स्टाप पर फर्जी गिरफ्तारी व 1.9 KG चरस की बरामदगी दिखाकर मु० अ० सं० NIL/2004 धारा 8/20 बी. NDPS ACT थाना केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग जिला फैजाबाद पंजीकृत करके जेल भेज दिया जिसकी उच्चस्तरीय न्यायोचित जाँच कराये जाने का संलग्न आदेश केन्द्रीय गृह राज्य मंत्रालय भारत सरकार ने D.O.NO. 1670 दिनाँक 26 अगस्त 2004 मुख्य सचिव उ०प्र० शासन लखनऊ को दिया था जिसपर पुलिस अधीक्षक बस्ती से जाँच कराया जिसकी संलग्न कापी में प्रार्थी की गिरफ्तारी व बरामदगी फर्जी पायी गयी और सक्षम ऐजेन्सी से निष्पक्ष जाँच कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है की टिप्पणी के साथ संलग्न जाँच रिपोर्ट उ०प्र० शासन को प्रेषित कर दिया जिसे गृह राज्य मंत्रालय भारत सरकार भेजने के स्थान पर स्वयं निर्णय लेकर मुख्य सचिव ने CBCID जाँच आदेश पारित किया जिसे न्यायालय ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि भारत सरकार के मुकदमों में राज्य सरकार को जाँच कराने का अधिकार नहीं है तब से प्रार्थी निरन्तर सम्बन्धित विभाग, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से CBI जाँच की माँग कर रहा है।

1. यह कि आपके संलग्न आदेश 26 अगस्त 2004 पर मुख्य सचिव महोदय ने जाँच कराकर रिपोर्ट आपको कब भेजा तथा उसपर आप द्वारा क्या कार्यवाही की गयी बतायें और सबकी प्रमाणित प्रति प्रदान करें ?

2. यह कि यदि मुख्य सचिव महोदय ने कोई जाँच रिपोर्ट नहीं भेजा तो आजतक आपने कितने रिमाण्डर/स्मरण पत्र भेजे सबका विवरण व प्रति कृपया प्रदान करें ?

3. यह कि मुख्य सचिव महोदय से आपकब तक रिपोर्ट मगायेगें। भारत सरकार के कर्मियों ने मुझे झूठा फंसाकर जीवन बर्बाद किया है आप द्वारा कबतक न्याय दिलाया जायेगा और उक्त फर्जी मुकदमें की CBI जाँच करायी जायेगी।

निर्धारित शुल्क दस रूपये का नोट संख्या 45R402151 साथ में संलग्न है।

प्रार्थी सन्तराम

सन्तराम पुत्र स्व० श्री शिवशंकर

मो० राजाबाजार पोस्ट - पुरानी बस्ती

जनपद - बस्ती (उ०प्र०) दिनाँक - 10.06.2014